अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
ग्राम मुगालिया कोट (सूखी सेवनिया) विदिशा रोड़, भोपाल (म.प्र.)-462010
दूरभाष : 0755-2558606, वेबसाइट : www.abvhv.edu.in , अणुडाक : abvhvstudycenter@gmail.com

क्रमांक/अ.के./......./2022/अबिवाहिंविवि./ 1029 भोपाल, दिनांक 07/06/2022

अधिसूचना

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों एवं क्षेत्रों में नवीन अध्ययन केंद्र संचालित करने हेतु अधिसूचना क्र. अ.के/1014/2022/अबिवाहिंविवि भोपाल दिनांक 04/04/2022 जारी की गई थी जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/04/2022 निर्धारित की गई थी इसी तारतम्य में दिनांक 08/06/2022 से 10/06/2022 तक नवीन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तिथि में वृद्धि की जाती है। **(परिशिष्ट संलग्न 'क')**

आवेदन करने वाली संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क रु. 35,000/- (रूपये पैंतीस हजार मात्र) बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता क्रमांक 13430100012347, IFSC कोड BARB0SUKHIS , सूखी सेवनिया के खाते में ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। जमा की गई शुल्क की रसीद को आवेदन के साथ अनिवार्यता संलग्न करना होगा तथा आवेदन प्रपत्र निर्धारित स्थान शुल्क जमा करने संबंधी विवरण की प्रविष्टि भी करना होगी।

जिन आवेदन समिति/संस्थाओं ने पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि 19/04/2022 तक आवेदन शुल्क रू. 35,000/- भुगतान कर दिया था किन्तु कतिपय कारणोवश आवेदन पत्र विश्ववविद्यालय में जमा नहीं कर पाये थे, वह भी नवीन निर्धारित तिथि 08/06/2022 से 10/06/2022 तक आवेदन पत्र के साथ शुल्क की भुगतान रसीद संलग्न कर विश्वविद्यालय जमा कर सकते है।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक/अबिवाहिंविवि/2022/अ.के./1013 भोपाल, दिनांक 01/04/2022 द्वारा अध्ययन केंद्रों के उद्देश्य नियम एवं शर्ते अधिसूचित किए गए है जिनकी प्रतियाँ विश्वविद्यालय की बेवसाइट **www.abvhv.edu.in** पर उपलब्ध हैं। इनकी प्रतियाँ इस अधिसूचना के साथ भी संलग्न हैं। यह आवेदन इन नियमों एवं शर्तो के अनुरूप होगा एवं इन्ही नियमों के अनुसार ही आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। **(परिशिष्ट संलग्न 'ख')**

सत्र 2022-23 के लिए नवीन अध्ययन केंद्र संचालन प्रबंधन करने हेतु नवीन अध्ययन केंद्र संचालन/प्रबंधन करने हेतु इच्छुक संस्था कंपनी, न्यास, कोई समिति या कोई शैक्षणिक केंद्रों या संगठन जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) के तहत पंजीकृत है ऐसी समितियों में से केवल वह समिति ही सत्र 2022-23 में आवेदन करने के लिए पात्र होगी जो विगत् वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में अध्ययन केन्द्र संचालित कर रही है, अथवा ऐसी पंजीकृत समिति जिसे कम से कम एक वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालन करने का अनुभव हो। ऐसी समितियों के अलावा अन्य समिति आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी, इसलिए वह आवेदन न करें।

नवीन अध्ययन केंद्र के लिए आवेदन करने वाली समिति को अध्ययन केंद्र के लिए आवेदन करने संबंधी निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.abvhv.edu.in से डाउनलोड कर उसमें सभी प्रविष्टियाँ भरकर आवेदन पत्र में सभी आवश्यक संलग्नों को प्रमाणपत्रों, प्रपत्रों, दस्तावेजों, किरायानाम, जमा की गई निर्धारित शुल्क की रसीद की छायाप्रतियों को आदि के साथ कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ग्राम मुगालिया कोट सूखी सेवनिया विदिशा रोड़, भोपाल (म.प्र.)462038 के कार्यालय में अनिवार्यतः 10/06/2022

कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक, स्पीडपोस्ट, व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्र वाहक के माध्यम से अनिवार्यतः जमा करना होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक में विलम्ब हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन पत्र, अध्ययन केंद्र की ई-मेल abvhvstudycenter@gmail.com पर भी जमा कर सकते है। ऐसी संस्था जो निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व ई-मेल के माध्यम से आवेदन करते हैं उन्हें आवेदन की मूलप्रति तत्काल विश्वविद्यालय के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक दिनांक 10/06/2022 तक अनिवार्य जमा करना होगी। अन्यथा उनका आवेदन स्वतः अमान्य हो जावेगा।

निम्नलिखित जानकारी के साथ निरंतरता आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करेः-

1. आवेदन करने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्ययन केंद्रों के उद्देश्य, नियम एवं शर्तें के सभी 09 बिन्दुओं एवं उनकी उपकी उप बिन्दुओं का अनिवार्यतः अध्ययन कर लें तथा तदनुसार ही आवेदन पत्र में सभी प्रविष्ठियाँ करें।
2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक जिले के लिए अध्ययन केंद्र संचालन की अनुमति हेतु अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तदनुसार ही अध्ययन केंद्र संचालन करने की अनुमति दी जावेगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए है, उनके संचालन की अनुमति के लिए प्रत्येक जिले में विगत वर्षो से संचालित अध्ययन केंद्र एवं नवीन सत्र में संचालन की अनुमति प्राप्त अध्ययन केंद्रों के लिए निर्धारित की गई अधिकतम संख्या में ही अध्ययन केंद्रों को नवीन पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति दी जावेगी।
4. पाठ्यक्रम की सूची संलग्न है।

उपरोक्तानुसार संलग्नः-

1. शैक्षणिक सत्र 2022-23 के नवीन अध्ययन केंद्र हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना। (परिशिष्ट- क)
2. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की गई उद्देश्य, नियम एवं शर्तें। (परिशिष्ट-ख)

आदेशानुसार

(यशवंत सिंह पटेल)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक........../अ.के./2022/अबिवाहिंविवि./ 1030 **भोपाल, दिनांक** 07/06/**2022**

प्रतिलिपिः-

1. वित्त अधिकारी, अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सह निदेशक अध्ययन केंद्र,अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आई.टी.सेल प्रभारी, अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर वेबस्थल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
4. परीक्षा/गोपनीय/अकादमी, अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से मा.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
6. कुलसचिवजी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश पुस्तिका।

कुलसचिव